फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री करण निवासी टाडावाड़ा सोलंकियां, लाम्बोड़ी, तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ – **प्रत्यर्थी**

किस्म **मुकदमा** – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 63/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.09..2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से जरिये पृष्ठांकित पत्र क्रमांक :– सू.का अधि..05/2025/1467 दिनांक 17.09.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री करण निवासी टाडावाड़ा, सोलंकियां, लाम्बोड़ी तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। जिसे आरटीआई की धारा 6(1) के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति कुंभलगढ़ को अन्तरण किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से चाही गई वांछित सूचनाओं को संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति कुंभलगढ़ से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति कुंभलगढ़ को जरिये पत्र क्रमांक सू.का अधि.05/2025/1467 दिनांक 17.09.25 से अन्तरण किया जाकर अपीलार्थी को भी सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना संबंधित विभाग/कार्यालय से प्राप्त करे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)